



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण 1945 (श10)
(सं0 पटना 641) पटना, मंगलवार, 1 अगस्त 2023

समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

अधिसूचना
25 जुलाई 2023

सं 03/रा0म0आ0-02/2006-1545--बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम-1999 के अध्याय-II धारा-3 के अंतर्गत राज्य सरकार ने बिहार राज्य महिला आयोग के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है, तदनुसार बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य (गैर सरकारी एवं सरकारी) सदस्यों को निम्नरूपेण मनोनीत किया जाता है:-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 श्रीमती अश्वमेध देवी,
ग्राम- मथुरापुर,
बाजार समिति के निकट, समस्तीपुर | अध्यक्ष |
| 2 श्रीमती प्रभावती मांझी,
कायमगंज, वार्ड नं0-2,
नगर पंचायत, मखदुमपुर, जहानाबाद-804422 | सदस्य (गैर-सरकारी)
अनुसूचित जाति |
| 3 डॉ0 सुजाता सुम्रई,
ग्राम+पो0 – तरवारा,
थाना- जीबी नगर, सिवान, पिन- 841506 | सदस्य (गैर-सरकारी)
अनुसूचित जनजाति |
| 4 श्रीमती रबिया खातुन,
ग्राम+पो0- पुरैनी बाजार,
जिला- भागलपुर, पिन- 812005 | सदस्य (गैर-सरकारी)
अल्पसंख्यक |

5	श्रीमती सुनीता कुशवाहा, पो0+थाना- भोरे, गोपालगंज, बिहार	सदस्य (गैर-सरकारी) पिछड़ा वर्ग
6	श्रीमती श्वेता विश्वास, ग्राम+पो0- मसौढ़ी, पालीगंज, पटना	सदस्य (गैर-सरकारी) विधि-विधान
7	श्रीमती सुलोचना देवी, ग्राम+पो0- दुर्गापुर, थाना- भवानीपुर, पूर्णियां	सदस्य (गैर-सरकारी) सामाजिक कार्यकर्ता
8	प्रो0 गीता यादव, ग्राम- गौतम नगर, गंगजाला, वार्ड नं0-15, सहरसा	सदस्य (गैर-सरकारी) शिक्षाविद्
9	समाज कल्याण द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि	पदेन सरकारी सदस्य
10	गृह विभाग द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि	पदेन सरकारी सदस्य
11	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम, पटना	पदेन सदस्य-सचिव

2. बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम-1999 के अध्याय-II की धारा-4 एवं 5 में निहित सेवा शर्तें अध्यक्ष एवं अन्य गैर सरकारी सदस्यों पर लागू होंगी।

3. अध्यक्ष एवं सदस्यगण मनोनयन की तिथि से अधिकतम 03 (तीन) वर्ष या 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु पूरी करने, जो भी पहले हो तक पद पर बने रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कुमारी सीमा,
उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 641-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>